



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2016 ई0

चैत्र 11, 1938. शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 104/XXXVI(3)/2016/12(1)/2016

देहरादून, 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016” पर दिनांक 29 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2016)

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमित

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष, 2013) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए —

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हों:-

- | | | |
|---|----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना | 1 | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत कृत कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही मानी जायेगी। |
| मूल अधिनियम में संशोधन | 2 | (1) मूल अधिनियम में जहां-जहां शब्द "प्राधिकरण" आया है के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायेगा। |
| धारा 2 का संशोधन | 3 | मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (छः) के स्थान पर निम्नवत उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:-

2(छः). "आयोग" से उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग अभिप्रेत है, |
| धारा 3 का संशोधन | 4 | मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) एवं उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:-

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा एक आयोग की स्थापना करेगी, जिसे उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(4) आयोग में एक अध्यक्ष और दो से अनाधिक संख्या में सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, होंगे। |
| धारा 4 का संशोधन | 5. | मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा(1)(ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी;अर्थात्:- |

- (1)(ख) आयोग के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित कठिनाई का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो या जिन्होंने इन कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की हो ;

परन्तु यह कि ऐसे सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता स्तर के श्रेणी से नीचे का पद धारण न करता हो अथवा इसके समकक्ष जल विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और 25 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

धारा 6 का संशोधन 6.

मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी;अर्थात्:-

- 6(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगी। समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन - पदेन अध्यक्ष

(ख) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग या उसका नाम-निर्देशिती, जो केन्द्रीय जल आयोग का सदस्य होगा - पदेन सदस्य

(ग) यथास्थिति प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन - पदेन सदस्य

(घ) निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर - पदेन सदस्य

(ङ) यथास्थिति प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड सरकार - पदेन सदस्य सचिव

धारा 9 का संशोधन 7.

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात् :-

- (2) आयोग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त करेगा। आयोग ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, जैसा कि वह अपने कर्तव्यों व कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे। प्राधिकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा।

धारा 12 का संशोधन 8.

मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी;अर्थात्:-

(क) राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अन्तर्गत जल संसाधनों के सम्पोषणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित किये गये एकीकृत राज्य जल योजना/द्रोणी योजनाओं को अनुमोदित करना;

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 104/XXXVI(3)/2016/12(1)/2016

Dated Dehradun, March 31, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand Water Management and Regulatory (Amendment) Bill, 2016' (Adhiniyam Sankhya 03 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 March, 2016.

**THE UTTARAKHAND WATER MANAGEMENT AND REGULATORY
(Amendment) ACT, 2016**

(Act No. 03 of 2016)

An

Act

Further to amend the Uttarakhand Water Management and Regulatory Act, 2013 (Uttarakhand Act No. 24 of 2013)

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty seventh year of the Republic of India as follows:

**Short Title,
Extent and
Commencement**

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Water Management and Regulatory (Amendment) Act, 2016.
- (2) It shall come into force at once.
- (3) Any action taken under the Uttarakhand Water Management and Regulatory Act, 2013 (herein after referred as principal Act) shall be deemed action taken under this Act.

Amendment in the Principal act 2. (1) Wherever the word "Authority" occurs in the Principal Act, the word shall be substituted as "commission"

Amendment of Section 2 3. In place of sub section(g) of section 2 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

2(g) "Commission" means the Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission.

Amendment of Section 3 4. In place of sub section(1) and (4) of section 3 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

(1) The State Government shall by notification, establish a Commission within three months from the date of commencement of this Act, to be known as the Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission who shall exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to him under this Act.

(4) The Commission shall consist with a Chairperson and such number of Members not exceeding two as may be notified by the State Government.

Amendment of Section 4 5. In place of sub section(1)b of section 4 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

(1)(b) The Member of the Commission shall be persons of ability, integrity and standing who have adequate knowledge of, or experience in, or have shown capacity in dealing with, problems relation to engineering, finance, commerce, economics, law or management ;

Provided that at least one Member shall be from amongst the member who are either holding or have held a post not below the rank of Chief Engineer or equivalent and having qualification and at least 25 years of experience in the field of Hydropower Engineering.

Amendment of Section 6 6. In place of sub section(1) of section 6 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

(1) The State Government shall, by notification, constitute a selection committee, for the purposes of making appointments of the Chairman and Members under sub-section (5) of section 3. The Committee shall consist of:-

(a) Chief Secretary, Government of Uttarakhand – Ex Officio Chairman

(b) Chairman, Central Water Commission or his nominee who shall be the member of the Central Water Commission– Ex Officio Member

(c) Principal Secretary/Secretary, as may be Finance, Government of Uttarakhand – Ex Officio Member

(d) Director, Indian Institute of Management, Kashipur- Ex Officio Member

(e) Principal Secretary/Secretary, as may be Irrigation, Government of Uttarakhand – Ex Officio Member Secretary

**Amendment of
Section 9**

7. In place of sub section(2) of section 9 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

(2) The Commission shall obtain necessary information from the concerned Departments of the State Government. The Commission may appoint such number of officers and Employees as in considers necessary for the performance of its duties and functions. Determination of numbers of officers and employees in Commission after the approval of the state Government.

**Amendment of
Section 12**

8. In place of sub section(a) of section 12 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

(A) to approve the Integrated State Water Plan/ Basin Plans developed by Departments of the State Government to ensure sustainable management of water resources within the parameters laid down by State Water Policy as amended from time to time;

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

उद्देश्य एवं कारण

राज्य में "उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक अधिनियम, 2013" राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण, साम्यपूर्ण और पोषणीय प्रबन्धन, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय राज्य के विकास हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजन के लिए राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु प्रभार अवधारित करने एवं लाभान्वित भू-स्वामियों के बाढ़ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर निर्धारित करने के लिए उत्तराखण्ड जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए "उत्तराखण्ड जल संसाधन एवं प्रबन्धन और नियामक अधिनियम-2013 अधिनियमित किया गया था, उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाईयाँ प्रशासनिक स्तर पर महसूस की जा रही है।

- 2- इन कठिनाईयों के निराकरण के लिए प्रस्तुत विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।
- 3- उक्त विधेयक इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है।

यशपाल आर्य,
मंत्री।